न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 17/2026

राजस्थान सरकार जरिये पूजा दोताणियॉं, उर्वरक निरीक्षक, एवं उप परियोजना निदेशक आत्मा, अजमेर

..........**प्रार्थी**

बनाम

1. मैसर्स मंगलदीप बायोफर्टिलइजर एण्ड केमिकल एलएलपी खसरा नम्बर 939/125, 940/125 जिला अजमेर राजस्थान।
2. मनीष अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान।

..........**अप्रार्थी**

उपस्थित :–

1. सुश्री पूजा दोताणियाँ उर्वरक निरीक्षक **पैरोकार सरकार**
2. श्री मनीष अग्रवाल मैनेजर अप्रार्थी सं. 01 व 02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) डी के तहत जब्तशुदा उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात करने बाबत्।

आदेश

दिनांक– 10.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन श्री कैलाशचन्द शर्मा उर्वरक निरीक्षक एवं उप परियोजना निदेशक आत्मा अजमेर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 30.05.2025 को 12:00 पी.एम. मैसर्स मंगलदीप बायोफर्टिलाइजर एण्ड केमिकल एलएलपी खसरा नं. 939/125, 940/125 टिकावड़ा किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विनिर्माण इकाई परिसर का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुए। निरीक्षण के समय मौके पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 (ए), (बी), (सी), एवं 35 का उल्लघंन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश क्लोज 28(1) (डी) के तहत फर्म परिसर में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक की जब्ती की कार्यवाही कर जब्त उर्वरकों को खुर्द–बुर्द नहीं करने की हिदायत दी गई तथा जब्ती के दस्तावेज सुपुर्दगी पत्र, फर्द जाब्ता तलाशी, फर्द जब्ती, शपथ पत्र, परिशिष्ट II एवं मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार किये गये। जब्त उर्वरकों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	नाम उर्वरक	बैच नं.	उपलब्ध स्टॉक	उर्वरक स्थिति
1	Shri Sardar Bio-NPK (Carrier Based Consortia)	अंकित नहीं	822 बैग	Granular
2	Sardar Sai Bio-NPK (Carrier Based Consortia)	अंकित नहीं	91 बैग	Granular

जिला कलक्टर
अजमेर

उक्त जब्तशुदा उर्वरक श्री सरदार बायो NPK के 822 बैग एवं सरदार सांई बायो NPK के 91 बैग आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन श्री कैलाशचन्द शर्मा उर्वरक निरीक्षक एवं उप परियोजना निदेशक आत्मा अजमेर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 30.05.2025 को 12:00 पी.एम. मैसर्स मंगलदीप बायोफर्टिलाइजर एण्ड केमिकल एलएलपी खसरा नं. 939/125, 940/125 टिकावड़ा किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विनिर्माण इकाई परिसर का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुए। उक्त समय फर्म के प्रतिनिधि महेन्द्र सिंह दरोगा उपस्थित थे इसके साथ ही मौके पर विभागीय अधिकारी श्री रामेश्वर लाल गैना, सहायक कृषि अधिकारी टिकावड़ा, गणपत चौधरी कृषि पर्यवेक्षक टिकावड़ा, कन्हैयालाल जाट कृषि पर्यवेक्षक सिलोरा, एवं श्री कृष्ण कुमार यादव कृषि पर्यवेक्षक काढ़ा उपस्थित थे। निरीक्षण के समय मौके पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 (ए), (बी), (सी), एवं 35 का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश क्लोज 28(1) (डी) के तहत फर्म परिसर में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक की जब्ती की कार्यवाही कर जब्त उर्वरकों को खुर्द–बुर्द नहीं करने की हिदायत दी गई तथा जब्ती के दस्तावेज सुपुर्दगी पत्र, फर्द जाब्ता तलाशी, फर्द जब्ती, शपथ पत्र परिशिष्ट II एवं मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार किये गये। जब्त उर्वरकों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	नाम उर्वरक	बैच नं.	उपलब्ध स्टॉक	उर्वरक स्थिति
1	Shri Sardar Bio-NPK (Carrier Based Consortia)	अंकित नहीं	822 बैग	Granular
2	Sardar Sai Bio-NPK (Carrier Based Consortia)	अंकित नहीं	91 बैग	Granular

यह कि उर्वरक वितरक/विक्रेता अभियुक्त मनीष अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम निवासी सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान मैसर्स मंगलदीप बायोफर्टिलाइजर एण्ड केमिकल एलएलपी 939/125, 940/125 टिकावड़ा किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इनपुट) द्वारा जारी उर्वरक वितरक (Wholesaler) प्राधिकार पत्र संख्या SPF/2023-24/3691 (दिनांक 10.07.2024 व वैधता दिनांक 08.07.2029) द्वारा उर्वरको के वितरक हेतु अधिकृत हैं। उक्त फर्म के विनिर्माण इकाई परिसर से एफ.सी.ओ. 1985 के तहत नियमानुसार नमूनो का आहरण किया गया।

क्र. सं.	नाम उर्वरक	नमूना आहरण दिनांक	उपलब्ध स्टॉक	नमूना कोड़
1	Shri Sardar Bio-NPK (Carrier Based Consortia)	30.05.2025	822 बैग	KCS/2025-26/F-01

जिला कलक्टर
अजमेर

2	Sardar Sai Bio-NPK (Carrier Based Consortia)	30.05.2025	91 बैग	KCS/2025-26/F-02

उपरोक्त आहरित नमूनो में से को KCS/2025-26/F-01 प्रभारी अधिकारी राजकीय उर्वरक परीक्षण, प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर के पत्रांक कमश 16–17 दिनांक 26.06.2025 द्वारा अमानक घोषित किया गया तथा KCS/2025-26/F-02 को प्रभारी अधिकारी उर्वरक निरीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर के पत्रांक 18–19 दिनांक 26.06.2025 द्वारा मानक घोषित किया गया। मैसर्स श्री मंगलदीप बायोफर्टिलाइजर एण्ड केमिकल टिकावड़ा किशनगढ़ जिला अजमेर को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लोज 8,19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लंघन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इनपुट), कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा एफसीओ के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये प.ांक 5129–5185 दिनांक 08.07.2025 एवं संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक 2966–2971 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरक एण्ड भण्डारण प्राधिकार पत्र संख्या SPF/2023-24/3691 को निरस्त कर उपलब्ध स्टोक को निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गए हैं। उक्त फर्म द्वारा दिनांक 30.05.2025 को उनके वितरक एवं भण्डारण (Wholesale of Fertilizer) परिसर में की गई जब्ती की कार्यवाही एवं कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त की कार्यवाही के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में SB Criminal Misc. Petition No. 3755/2025 (मैसर्स मंगलदीप बायोफर्टिलाइजर एण्ड केमिकल एलएलपी) में की गई हैं। अमानक उर्वरक निर्माण नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लोज 19 (ए), (बी), (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता हैं तथा उक्त जब्तशुदा उर्वरक मैसर्स मंगलदीप बायोफर्टिलाइजर एण्ड केमिकल एलएलपी खसरा नं. 939/125, 940/125 टिकावड़ा किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान के कब्जे में काफी समय तक रहता हैं तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक श्री सरदार बायो NPK के 822 बैग एवं सरदार बायो NPK के 91 बैग आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात कर नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त जब्तशुदा माल आपसी अनुबंध के अनुसार निर्मित/भरे हुए थे तथा उनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 अनुसार उपरोक्त माल क्रमांक 01 अमानक एवं क्रमांक 02 मानक घोषित किया गया हैं। अप्रार्थी की फर्म/इकाई नवस्थापित है जिसे दिनांक 10.07.2024 को विधिवत लाईसेंस प्राप्त हुआ हैं, अतः इकाई अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं। जिससे फर्म को सीज रखना न्यायोचित नहीं हैं। यह कि अप्रार्थी फर्म का कभी भी कृषको से धोखाधड़ी का उद्देश्य नहीं रहा बल्कि सदैव कृषको की मदद ही रहा हैं, राजकीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट के निष्कर्ष तकनीकी आधार पर भिन्न हो सकते हैं। प्रार्थी ने हमेशा गुणवक्तापूर्ण सामग्री के वितरण का प्रयास किया हैं। उक्त माल समय की प्रकृति से क्षरण एवं वर्षा जनित पानी के कारण नष्ट हो चुका है और काम में लेने योग्य नहीं रहा हैं। अतः जब्तशुदा माल माननीय न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त करना उचित

जिला कलक्टर
अजमेर

समझे तो मुझ अप्रार्थी फर्म को कोई आपत्ति नहीं हैं। ताकि मूल 6 ए प्रकरण का निस्तारण हो सकें। अतः जवाब स्वीकार कर उक्त प्रकरण को निस्तारण कर प्रार्थी की फर्म को अनसीज करने के आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन श्री कैलाशचन्द शर्मा उर्वरक निरीक्षक एवं उप परियोजना निदेशक आत्मा अजमेर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 30.05.2025 को 12:00 पी.एम. मैसर्स मंगलदीप बायोफर्टिलाइजर एण्ड केमिकल एलएलपी खसरा नं. 939/125, 940/125 टिकावड़ा किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान के विनिर्माण इकाई परिसर का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुए। उक्त समय फर्म के प्रतिनिधि महेन्द्र सिंह दरोगा उपस्थित थे इसके साथ ही मौके पर विभागीय अधिकारी श्री रामेश्वर लाल गैना, सहायक कृषि अधिकारी टिकावड़ा, गणपत चौधरी कृषि पर्यवेक्षक टिकावड़ा, कन्हैयालाल जाट कृषि पर्यवेक्षक सिलोरा, एवं श्री कृष्ण कुमार यादव कृषि पर्यवेक्षक काढ़ा उपस्थित थे। निरीक्षण के समय मौके पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 (ए), (बी), (सी), एवं 35 का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश क्लोज 28(1) (डी) के तहत फर्म परिसर में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक की जब्ती की कार्यवाही कर जब्त उर्वरकों को खुर्द–बुर्द नहीं करने की हिदायत दी गई तथा जब्ती के दस्तावेज सुपुर्दगी पत्र, फर्द जाब्ता तलाशी, फर्द जब्ती, शपथ पत्र परिशिष्ट II एवं मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार किये गये। यह कि उर्वरक वितरक/विक्रेता अभियुक्त मनीष अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम निवासी सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान मैसर्स मंगलदीप बायोफर्टिलाइजर एण्ड केमिकल एलएलपी 939/125, 940/125 टिकावड़ा किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इनपुट) द्वारा जारी उर्वरक वितरक (Wholesaler) प्राधिकार पत्र संख्या SPF/2023-24/3691 (दिनांक 10.07.2024 व वैधता दिनांक 08.07.2029) द्वारा उर्वरको के वितरक हेतु अधिकृत हैं। उक्त फर्म के विनिर्माण इकाई परिसर से एफ.सी.ओ. 1985 के तहत नियमानुसार नमूनो का आहरण किया गया। उपरोक्त आहरित नमूनो में से को KCS/2025-26/F-01 प्रभारी अधिकारी राजकीय उर्वरक परीक्षण, प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर के पत्रांक क्रमश 16–17 दिनांक 26.06.2025 द्वारा अमानक घोषित किया गया तथा KCS/2025-26/F-02 को प्रभारी अधिकारी उर्वरक निरीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर के पत्रांक 18–19 दिनांक 26.06.2025 द्वारा मानक घोषित किया गया। मैसर्स श्री मंगलदीप बायोफर्टिलाइजर एण्ड केमिकल टिकावड़ा किशनगढ़ जिला अजमेर को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लोज 8,19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लंघन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इनपुट), कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा एफसीओ के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पत्रांक 5129–5185 दिनांक 08.07.2025 एवं संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक 2966–2971 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरक एण्ड भण्डारण प्राधिकार पत्र संख्या SPF/2023-24/3691 को निरस्त कर उपलब्ध स्टोक को निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गए हैं। अमानक उर्वरक निर्माण नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लोज 19 (ए), (बी), (सी) का स्पष्ट उल्लंघन

जिला कलक्टर
अजमेर

है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता हैं तथा उक्त जब्तशुदा उर्वरक मैसर्स मंगलदीप बायोफर्टिलाइजर एण्ड केमिकल एलएलपी खसरा नं. 939/125, 940/125 टिकावड़ा किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान के कब्जे में काफी समय तक रहता हैं तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी। साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब/दौराने बहस में भी जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने का कथन किया हैं। अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक श्री सरदार बायो NPK के 822 बैग एवं सरदार सांई बायो NPK के 91 बैग को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिया जाते हैं। उप परियोजना निदेशक आत्मा अजमेर उक्त जब्तशुदा उर्वरक का नियमानुसार निस्तारण करावें। आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर